

पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 14.05.2023 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान सुग्गीचौरी मोड़ के पास से मु0अ0सं0 133/23 धारा 376,323 भादवि0 धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अजीत कुमार गौतम पुत्र रामभवन प्रसाद निवासी धर्मपुर नकीहवा थाना मधुबन जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

65 शीशी (200 एमएल) अवैध देशी शराब बरामद, 02 अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 13.05.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा नसोपुर बगीचा से आनन्द कुमार निवासी नसोपुर थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के कब्जे से 37 शीशी (200 एमएल) अवैध देशी शराब बन्टी बबली तथा थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा कस्बा मुहम्मदाबाद से हेमन्त कुमार पुत्र रामनरेश निवासी फरीदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से 28 शीशी (200 एमएल) अवैध देशी शराब बन्टी बबली बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

शांति भंग की आशंका में 55 व्यक्ति तथा एक वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार—

दिनांक 14/15.05.2023 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा सुखराम, मनोज निवासी लरेवा सरौदा, बादमा, शिवा निवासीगण रायपुर पलिया, सनी, सत्यम निवासीगण बहरवार थाना चिरैयाकोट, थाना दोहरीघाट पुलिस द्वारा मनीष राय निवासी रौदा भगवानपुर, अंगद यादव निवासी बसियाराम थाना दोहरीघाट, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा अब्दुल रहमान निवासीस चेलाराम का पुरा, गोलू सिंह, चन्दन सिंह, सत्यानन्द चौबे, गौरव सिंह, दीनानाथ सिंह, शैलेन्द्र सिंह, बालकिसुन, अजय निवासीगण कुर्थिजाफरपु, सुभान अहमद, वसीम अकरम, अरशद जमाल, दानिश जमाल निवासीगण जुम्नपुरा, हफिजूरहमान, मो0 आरिफ, मो0 साजिद, खुर्शिद जमाल, अरशफ, मौलवी असदुल्लाह निवासीगण जुम्नपुरा, सौदागर निवासी चेलाराम का पुरा थाना कोपागंज, थाना मधुबन पुलिस द्वारा इरफान अहमद, रुखसार अहमद निवासीगण चकउत, रामपहदार, विजय बहादुर निवासीगण बारा, नरेश यादव, सुरेन्द्र यादव निवासीगण कमलापुर, बन्टी पाण्डेय, प्रिस कुमार निवासीगण हसनपुर, प्रताप चौहान निवासी सीकडीकोल, आकाश पटेल, सतोष, अंकित निवासीगण विसूनपुरा, रामशब्द यादव, रामअवध, गोविन्द निवासीगण सरफोरा, सुमिता, प्रभावती, उषा, प्रमिला निवासीगण चकउत थाना मधुबन, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा रोहित चौहान, हरखु चौहान निवासीगण उम्नपुर, लक्ष्मण निवासी कैलेण्डर तिराहा थाना मुहम्मदाबाद, थाना रानीपुर पुलिस द्वारा ओमकार, आकाश निवासीगण बरवा, दुर्गेश, बद्रीनाथ निवासीगण बड़ार थाना रानीपुर जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी तथा थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त मो0 फैजल पुत्र सिराजुद्दीन हक निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

मऊ पुलिस की प्रभावी पैरवी से हत्या का प्रयास के आरोपी को 07 वर्ष के कठोर कारावास व ₹ 10000 के अर्थदण्ड से दंडित कराया गया।

श्री अविनाश पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक मऊ के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कराकर सजा दिलाने के क्रम में आज दिनांक 15.05.2023 को वाद सं०-एसएसटी 108/2010 व मु०अ०सं० 109/10 धारा 307 भादवि व धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना कोपागंज में पुलिस की प्रभावी पैरवी पर सम्बन्धित अभियुक्त अनूप सिंह उर्फ छट्टू सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह निवासी सरवा थाना थाना कोपागंज जनपद मऊ को मा० न्यायाधीश श्री अशोक कुमार, एसजे-1 कोर्ट जनपद मऊ द्वारा 07 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री नन्दलाल भारती तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी अखण्ड प्रताप गौतम थाना कोपागंज जनपद मऊ का सराहनीय योगदान रहा।